⊕ कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–सीहोर मध्यप्रदेश ⊕

{Ph.No. : 07562 - 224141, E-mail: dexosehore@yahoo.com}

सीहोर, दिनांक 23/7/2019

——00निविदा विज्ञप्ति00——

सर्वसाधारण की विशेष जानकारी के लिए शासन आदेशानुसार एवं आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर के पत्र कमांक/9–लेखा/प्रा.वाहन/2019–20/169 ग्वालियर दिनांक 19.03.2019 अनुसार सूचना प्रकाशित की जाती है कि आबकारी विभाग, जिला सीहोर में वर्ष 2019–20 हेतु अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य (आबकारी अपराधों की रोकथाम) के लिए 04 वाहन मासिक किराए (फिक्सड एवं बेरिएबल चार्ज के आधार पर देय) पर लेने हेतु मुहरबंद निविदा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 06.08.2019 दिन मंगलवार को अपरान्ह 02.00 बजे आमंत्रित की जाकर प्राप्त निविदाए 06.08.2019 दिन मंगलवार को ही 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदादाता की अनुपस्थिति निविदा खोलने की प्रकिया को बाधित नहीं करेगी। निविदा फार्म की **कीमत 500/–(पाचं सौ रूपए)** मात्र होगी। यह राशि निविदादाता द्वारा **मद 0039 स्टेट एक्साइस 800 अन्य प्राप्तियों के मद में सायबर कोषालय के माध्यम से चालान जमा कर** निविदा फार्म प्राप्त की जा सकती है। वाहन का **माडल वर्ष 2017** के पूर्व का न हो, वाहन का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। वाहन किराये से लगाये जाने के लिए नियमानुसार सर्विस टैक्स (सेवाकर दाता) पंजीकृत फर्म /संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। सेवाकर हेतु पंजीकरण न होने की दशा में संबंधित संस्था/फर्म/व्यक्ति द्वारा टैक्सी सेवाओं के दिये जाने संबंधी प्रचलित नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्सड चार्ज तथा मुख्यालय से बाहर हेतु बेरियल चार्ज के आधार पर पृथक–पृथक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता अन्य नियमों व शर्तों की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है।

जिला आबकारी अधिकारी
जिला–सीहोर (म.प्र.)
सीहोर, दिनांक 23/07/2019

क्रमांक/आब./स्टोर/**06**/2019–20/ 1602

प्रतिलिपिः–

1. आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा भवन भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन भोपाल की किसी भी एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता भोपाल ई–5/78 अरेरा कालोनी भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग सीहोर की ओर समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ।
5. सहायक जिला आबकारी अधिकारी मण्डल–सीहोर/आष्टा/नसरूल्लागंज जिला–सीहोर की ओर प्रचारार्थ।
6. आबकारी उपनिरीक्षक वृत–सीहोर/दोराहा/आष्टा/बुदनी/नसरूल्लागंज की ओर प्रचारार्थ।
7. कार्यालय नोट बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. आबकारी उपनिरीक्षक वृत सीहोर को निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त विज्ञप्ति सहायक संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग सीहोर में निर्वाह करवाकर इसका प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर समाचार पत्र की कटिंग इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

जिला आबकारी अधिकारी
जिला–सीहोर (म.प्र.)

25-7-19